

Ref. No. 11035/12/2013 -NI-III  
Government of India/Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya  
(HR Division)

Sl No. 164

NDCC-II Tower, 'A'-Wing,  
4<sup>th</sup> Floor, New Delhi -110001  
Dated the 4<sup>th</sup> July, 2013

To,

The Secretary,  
National Foundation for Communal Harmony,  
9<sup>th</sup> Floor, Lok Nayak Bhawan  
New Delhi -110003.

Subject: Transfer of the RTI application.

Please refer to the RTI Cell's OM No. A-43020/01/2013-RTI dated 31.5.2013 forwarding the RTI application dated 06.5.2013 of Smt. Shashi Prabha Agarawal seeking information regarding National Communal Harmony Award 2011, received in this Division on 20.6.2013 (copy enclosed)

2. Since the information requested by the applicant under point 1 to 3 is concern of the National Foundation for Communal Harmony (NFCH), the application is transferred to the NFCH under section 6(i) of the RTI Act, 2005 for necessary action.
3. So far as point 4 is concern a copy of RTI application dated 06.5.2013 is being circulated to all the CPIOs of this Ministry with the request to provide requisite information directly to the applicant on Point 4.

Encl: As above.

RTI-164/Dir(25-1)/18  
10/7/13  
(Dr. R.K. Mitra)  
Joint Secretary (NI) & CPIO  
Tel: 23438111

Copy to:

(By Speed Post)

1. Smt. Shashi Prabha Agarwal, R-10, HIG Sector-23, Sanjoy Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh with request to approach various other Minister/Department about the awards if any instituted by them on Point 4 which are under preview of other CPIOs of the various Ministries / Departments. As per information available with the undersigned CPIO, the Govt. Of India instituted a National Award designated as "Kabir Puraskar", to promote communal, caste and ethnic harmony. These awards are announced on 2<sup>nd</sup> October every year. The details of the same are available in the web link <http://mha.nic.in>.
2. CPIOs of MHA (as per list attached) for taking appropriate action in respect of Point 4 of the RTI application dated 06.5.2013 and providing the requisite information directly to the applicant.
3. Shri S. Samanta, US (RTI) /CPIO, MHA, New Delhi w.r.t. OM No. A-43020/01/2013-RTI dated 31.5.2013.

For more information about the study, contact Dr. Michael J. Klag at (301) 435-3000 or via e-mail at [klag@mail.nih.gov](mailto:klag@mail.nih.gov).

卷之三

卷之三

—  
—  
—

31/09/2011

— 1 —

卷之三

— 26 —

• अपैरेंटलीकारी को सूचना का जटिलता अपैरेंटली, 2005 के तहत सूचना द्वाहें कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/हुड्डी... श्री/श्री... अभा. अपैरेंटली... के दिनांक 21/5/2013 के आवेदन (इस दावेलय ने ..... तो अपैरेंटली द्वारा दिनांक 27/05/2013 को प्राप्ति को अपैरेंटली का निवेश हुआ है, जिसके बारे में सूचना इकात फ्रैमवर के नियमकारणों से संदर्भित होनिकर इस से संबंध रखती है। यह अनुरोध विधि जाता है कि यह विषय-वस्तु का संदर्भ किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अपैरेंटली का जटिलता के है, तो आवेदक को सूचित करने हुए ओपैरेंटली को सीधी उस जटिलता को अपैरेंटली/अनुरोध विधि का दिया जाए।

2. ओडियक के 10% पर का निकाल दूसरे दिनों 29.05.2016 के रहम  
3. 247.54 के तहन जल्दी का निकाल दूसरे दिन के अद्यतिक तक के रहम  
श्रेष्ठी का

ପ୍ରକାଶକ : ଅଧ୍ୟାତ୍ମ

१२५८

१०८

कृष्ण श्रीमान् शशीलाल शर्मा

卷之三

ବିଦେଶୀକ (ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତିମ) ।

\* ਏਨ ਈ ਈ ਈ - ਇ ਅਵਨ  
ਬਥ ਸੀਏ ਬੋਡੁ ਨਹੀਂ ਪਿਲ੍ਹੀ

प्रति संकेतार्थे प्रेषितः ।

शाही धर्मा अस्तवल  
२०५-१०, रुद्रा आडि वी  
स्टेकट्ट - ७३, सवयनगर

गायिधावाद (उत्तर) (उनसे अनुरोध है कि इस लान्च के उपर्याप्त दूरी पर राज्य कर्ता के लिए उपरवासित कर्त्ता का सूचना अधिकारी/लोक गायिका के द्वारा करें।

(2)

राज्य संचालन  
Ministry of Home Affairs  
सी. ए. आर. ६ / ३. A. R. ६  
(विधा. २२(१) वैदें) (See Rule 22(१))  
उत्तीर्ण / RECEIPT

क्र. /No. २१७५६

श्री/श्रीमती/सूक्ष्मी

Received From Shri/Smt./Km.....  
के पत्र संख्या/लंबां संख्या के साथ .....  
with Letter No./Reference No.....

हैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/इंडियन पोस्टल ऑर्डर नं. ....  
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. ....  
के रुपये में रूपये की बक्ट इवाइटि  
the sum of Rupees by Cash .....

रुपया के अधिकार अधिनियम, 2005 की गृह्य रूपया दी।  
on account of fee under Right to Information Act 2005.

दिनांक 20  
Dated, २२ अगस्त 2016

दिनांक 20  
Dated..... 20.....

अभियंता / Initials

रुपये / Rs. \_\_\_\_\_

पदबान / Designation

5

## आर टी आई मास्ला/समयक्र

रा. ८-४३०२०/०१/२०१३-आर टी आई

३५८ संकार

卷之三

वाई दिल्ली, दिनांक: १०/०५/२०१३

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कमारी-

## शारीरि प्रभा का आवेदन।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपने दिनांक 6/15/2013 के आवेदन का अदलोकन करें जो इस संदर्भ में दिनांक 6/15/2013 को अंतरण से प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लातान विनियंत्रण) नियमाबली के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना ग्राह करने का अनुरोध 10/- रु. के आवेदन शुल्क के साथ होना चाहिए, जो कि उपयुक्त रसीद प्राप्त करने के अद्यता उस लोक प्राधिकारी, जिससे सूचना मांगी जा रही है, के ‘लेखा अधिकारी’ को देणे उपयुक्त डिनार्ड ड्राफ्ट या बैंकर धंक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से दिया जा सकता है।

2. आपके ऊपर-उल्लिखित सूचना का उधिकार अधिनियम के आवेदन में निम्नलिखित कमियां पाई गईं थीं:

i) 10/- रु. का शुल्क प्रेषित नहीं किया गया है जो कि बारीदी रेखा से नीचे वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी के लिए आवश्यक है।

४) शुल्क को कोर्ट फी स्टैम्प/न्यू-न्यारिल पेपर/अकाउट पेर्स/चैक/डाक टिकट/-----  
के माध्यम से भुगतान किया गया है, जो कि अधिनियम के अतिरिक्त भुगतान का वैध माध्यम नहीं है।

iii) -----/रु. का डिमांड इफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत लिधारित शुल्क नहीं है।

v) प्रस्तुत किया गया डिसेंट्रलाइजर रेट फॉस्टल ऑफर उचित प्राधिकारी के पक्ष में देय नहीं है। यह लेखा अधिकारी, यूह मंत्रालय' के पक्ष में देय होना चाहिए।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपके तृतीय का अधिकार अधिनियम के आवेदन को 10/रु. के आई पी ओडिसाप्ट इम्पर्टेक्चर एंड लाइन एजर्स्टोर पर्सनल स्टाफ (सं. 14F 452068) के साथ मूल रूप में वापिस किया जाता है।

## संलग्नकः उपर्युक्त के अनुसार

5वं फ़ॉर्म 18/11/31

श्री निवास प्रधान

उप सचिव (ई) एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

निर्दारण का उपर्युक्त  
प्राप्ति

(4)

06 MAY 2013

दिनांक 06.05.2013

श्रीमान सचिव

गृह मंत्रालय भारत सरकार

नई दिल्ली

S98  
3000) P12/1913  
1015) 13

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2015 के अन्तर्गत आवश्यक जानकारी।

महोदय,

पिछले वर्ष आपके बजारालय पत्रांक सं0 D.O. No 4/2(1)/2011-NFCH dt-12.5.2011 के द्वारा राष्ट्रीय सम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार 2011 देने हेतु नामांकन मांगे गये थे इस संदर्भ में मुझे आपसे निम्नलिखित जानकारियाँ चाहिए.....

1. वर्ष 2011 में उपरोक्त पुरस्कार किस महानुभव संस्थाओं को दिये गये उनका विवरण।
2. क्या वर्ष 2012 में भी राष्ट्रीय सम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार दिये जाने की योजना है यदि हो तो इसके नामांकन हेतु कब जानकारी मांगी जायेगी।
3. क्या राष्ट्रीय सम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा दिये जाते हैं।
4. सर्व समाज के लिये निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाली संस्थायें/व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार द्वारा, कौन-कौन से पुरस्कार वर्ष में घोषित किये जाते हैं (विवरण सहित)।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी सूचना अधिनियम के अन्तर्गत अविलम्ब देने की कृपा करें निर्धारित शुल्क पोस्टल आर्डर के रूप में संलग्न है।

संलग्न-10रु0 का पोस्टल आर्डर

52F - 18113

(52067)

भवदीय

शशि प्रभा अग्रवाल  
(शशि प्रभा अग्रवाल)

एफ-10 एच.आई.जी. सै0-23

संजयगढ़ गाजियाबाद

Faceclaw

RTI Matrix

No. II/ 20034/20/2013-IS-II(Pt)

Government of India

Ministry of Home Affairs

IS-II Div (IS-II Desk)

Reply of S No. 164

North Block, New Delhi,

Dated 24<sup>th</sup> July, 2013

To

Smt. Shashi Prabha Agarwal,  
F-10 HIG Sector-23,  
Sanjay Nagar, Ghaziabad.

Sub: Application of Smt. Shashi Prabha Agarwal, under RTI Act, 2005.

Sir,

Please refer to your application dated 6.5.2013 under RTI Act, 2005, which was received by the undersigned on 10.7.2013. So far as information sought under point-4 of your application, it is informed that the information in respect of IS-II Section of IS-I Division of this Ministry may be treated as 'NIL'.

2. In case you are not satisfied with the above reply, as per Section 19 (1) of Right to Information Act, 2005 you may file an appeal within 30 days from the issue of this letter to the first Appellate Authority whose particulars are given below:-

Shri Rakesh Singh,  
Joint Secretary (IS-I),  
Ministry of Home Affairs,  
North Block, New Delhi.

Yours faithfully,

Rakesh Mittal  
(Rakesh Mittal)  
Director (IS-I)

Copy to;

Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI/CPIO, M/o Home Affairs,  
North Block, New Delhi.

OK

21 JUL 2013  
SAP/115